भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3712

सोमवार, 16 मार्च, 2026 / 25 फाल्गुन, 1947 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति

3712. श्री संजय हरिभाऊ जाधवः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश में असंगठित कामगारों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विशेषकर दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र तथा महाराष्ट्र के संबंध में वर्ष-वार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) देशभर में असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और विशेषकर महाराष्ट्र में शुरू की गई और कार्यान्वित की गई केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा असंगठित कामगारों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म कामगारों, प्रवासी कामगारों आदि सहित असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया। ई-श्रम पोर्टल, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित असंगठित कामगारों को पंजीकृत करता है और उन्हें स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करता है।

दिनांक 9 मार्च 2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर 31.55 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का पंजीकरण किया जा चुका है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है।

जारी..2/-

दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र तथा महाराष्ट्र में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की जिला-वार संख्या क्रमशः अनुबंध-II और अनुबंध-III में दी गई है।

असंगठित कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ई-श्रम को 'वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' के रूप में विकसित करने संबंधी बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के विज़न के अनुरूप, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम–"वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं का एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकरण किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और ई-श्रम के माध्यम से अब तक उनके द्वारा प्राप्त किए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

ई-श्रम कार्डधारकों को सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ और उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की चौदह (14) योजनाओं को ई-श्रम के साथ एकीकृत/मैप किया जा चुका है, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम जी), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) आदि शामिल हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ई-श्रम, रोजगार के अवसरों के लिए राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस), कौशल विकास के लिए स्किल इंडिया डिजिटल हब (एसआईडीएच), पेंशन के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के कन्वर्जेंस पोर्टल के साथ जुड़ा हुआ है।

विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के तहत नामांकित ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

ई-श्रम पहल के तहत पंजीकरण बढ़ाने और युवाओं तथा महिलाओं सहित असंगठित कामगारों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक व्यापक कार्यनीति अपनाई है। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से स्व-पंजीकरण को सक्षम करने के अतिरिक्त, कामगारों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने हेतु सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और उमंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सहायता सुविधा युक्त पंजीकरण मोड शुरू किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, पंजीकरण अभियान, सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर तैयार संचार प्रयासों सहित लक्षित जागरूकता अभियान चला रहा है। आउटरीच को और मजबूत करने के लिए, मंत्रालय, वीडियो, ट्यूटोरियल और अन्य सूचनात्मक सामग्री प्रसारित करने हेतु सोशल मीडिया चैनलों का उपयोग कर रहा है, जो इस पहल को और अधिक सुलभ और आकर्षक बना रहा है।

**** *****

अनुबंध-I

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री संजय उत्तमराव देशमुख, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमारे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या का विवरण:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्ष-वार पंजीकरण संख्या				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17,395	10,916	2,187	1,870	2,730
2	आंध्र प्रदेश	25,41,513	53,35,547	1,70,081	92,338	6,52,005
3	अरुणाचल प्रदेश	44,482	95,352	5,298	54,575	13,357
4	असम	48,95,133	19,98,054	2,22,194	4,67,469	2,13,722
5	बिहार	1,59,27,110	1,26,34,063	3,99,535	6,80,865	25,31,853
6	चंडीगढ़	1,03,214	70,947	3,440	7,705	4,907
7	छत्तीसगढ़	54,88,503	27,53,427	1,40,091	1,51,322	1,01,154
8	दिल्ली	17,09,746	15,39,743	80,116	1,52,507	1,29,230
9	गोवा	9,567	41,990	14,489	9,841	11,815
10	गुजरात	33,30,444	57,75,393	23,95,910	3,94,440	4,03,225
11	हरियाणा	26,67,586	25,69,049	46,432	68,492	65,613
12	हिमाचल प्रदेश	8,03,255	11,18,877	28,808	32,475	30,294
13	जम्मू और कश्मीर	18,24,241	15,30,233	73,183	1,22,190	68,491
14	झारखंड	65,83,167	25,35,674	1,59,965	3,28,048	1,96,855
15	कर्नाटक	23,33,705	49,79,846	5,63,760	25,81,382	5,44,898
16	केरल	47,78,855	11,23,020	37,445	69,909	90,555
17	लद्दाख	5,020	23,369	3,334	1,735	1,809
18	लक्षद्वीप	138	2,258	102	303	57
19	मध्य प्रदेश	46,26,522	1,22,08,499	5,74,655	10,82,760	6,93,977
20	महाराष्ट्र	37,08,606	96,81,127	6,68,834	33,13,358	9,08,111
21	मणिपुर	3,37,490	66,497	24,826	23,764	17,416
22	मेघालय	1,19,820	1,63,802	25,860	16,797	33,224
23	मिजोरम	8,293	49,770	5,070	1,830	7,770
24	नागालैंड	1,83,927	34,175	2,538	10,862	10,748
25	ओडिशा	1,27,11,227	6,09,653	48,031	1,79,810	1,26,104
26	पुदुच्चेरी	1,04,339	71,759	7,082	6,408	8,189
27	पंजाब	46,90,397	8,00,910	83,652	1,97,782	1,42,506
28	राजस्थान	37,90,531	89,69,569	6,33,144	9,43,008	8,34,803
29	सिक्किम	4,718	18,356	13,618	5,445	8,303
30	तमिलनाडु	45,41,452	37,71,596	2,39,397	3,69,501	6,14,434
31	तेलंगाना	18,82,559	21,45,366	2,73,315	1,55,060	1,68,164
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	38,072	34,384	725	1,014	1,502
33	त्रिपुरा	7,02,770	1,40,524	20,030	22,452	15,205
34	उत्तर प्रदेश	6,29,21,323	2,00,23,434	2,75,538	5,13,403	4,75,876
35	उत्तराखंड	9,17,675	20,56,117	32,494	52,093	46,134
36	पश्चिम बंगाल	2,34,20,797	23,18,090	4,34,513	2,34,496	1,34,115
	कुल पंजीकरण	**17,77,73,592**	**10,73,01,386**	**77,09,692**	**1,23,47,309**	**93,09,151**

अनुबंध-II

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री संजय उत्तमराव देशमुख, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में दिनांक 09.03.2026 तक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की जिला-वार संख्या।

क्र.सं.	**जिला**	**पंजीकरण संख्या**
1	दीव	3,145
2	दमन	17,024
3	दादरा और नगर हवेली	55,917
	कुल पंजीकरण	**76,086**

अनुबंध-III

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री संजय उत्तमराव देशमुख, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 09.03.2026 तक, महाराष्ट्र में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की जिला-वार संख्या।

क्र.सं.	जिला	पंजीकरण संख्या
1	अहिल्यानगर	5,20,303
2	अकोला	4,56,411
3	अमरावती	7,02,273
4	बीड	3,94,018
5	भंडारा	4,42,912
6	बुलढाना	5,41,227
7	चंद्रपुर	5,69,240
8	छत्रपति संभाजीनगर	7,24,938
9	धाराशिव	2,82,254
10	धुले	4,06,910
11	गडचिरोली	3,29,930
12	गोंदिया	5,04,707
13	हिंगोली	2,74,849
14	जलगांव	9,24,731
15	जलना	3,68,350
16	कोल्हापुर	6,97,900
17	लातूर	3,56,289
18	मुंबई	5,27,773
19	मुंबई उपनगर	5,79,651
20	नागपुर	8,78,640
21	नांदेड़	5,60,711
22	नंदुरबार	3,07,441
23	नासिक	7,64,456
24	पालघर	6,32,857
25	परभनी	2,69,417
26	पुणे	8,67,840
27	रायगढ़	3,61,706
28	रत्नागिरि	2,41,986

29	सांगली	3,92,106
30	सतारा	4,66,740
31	सिंधुदुर्ग	1,60,922
32	सोलापुर	5,25,131
33	थाइन	10,75,476
34	वर्धा	2,88,215
35	वाशिम	2,83,044
36	यवतमाल	7,39,403
	कुल पंजीकरण	**1,84,20,757**

अनुबंध-IV

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों की स्थिति" के संबंध में श्री संजय हरिभाऊ जाधव, श्री संजय उत्तमराव देशमुख, श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर, श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे द्वारा पूछे गए दिनांक 16.03.2026 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3712 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

दिनांक 09.03.2026 तक, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के अंतर्गत नामांकित असंगठित कामगारों का महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विवरण।

क्र. सं.	राज्य	ओएनओआरसी	पीएम-स्वनिधि	मनरेगा	पीएमएवाई-जी	आईएनजीडीपीएस	आईएनजीडब्ल्यूपीएस	पीएमएवाईयू	पीएमएमएसवाई	पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई	पीएमजेएवाई	पीएमकिसान	पीएमएमवीवाई
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9,408	180	2,193	366	1	5	16	13	4,859	11,759	25,929	1,318	26
2	आंध्र प्रदेश	55,07,335	1,37,783	34,81,429	62,005	5,120	1,30,503	4,81,458	1,208	11,31,799	31,13,367	75,15,717	10,51,195	48,612
3	अरुणाचल प्रदेश	1,21,354	2,543	98,892	8,021	342	1,372	2,211	18	16,140	61,526	48,208	46,338	84
4	असम	71,12,244	25,000	24,35,926	2,81,340	8,845	29,897	27,929	2,721	3,77,497	16,41,739	41,16,776	10,33,323	1,47,873
5	बिहार	2,70,51,386	86,808	51,06,473	19,31,821	20,883	83,579	45,902	550	21,33,481	89,53,478	2,43,52,329	38,33,658	4,91,107
6	चंडीगढ़	1,25,381	3,416	2,104	824	27	322	76	-	15,277	49,529	1,07,442	7,867	3,263
7	छत्तीसगढ	65,19,028	44,509	38,00,122	5,08,489	12,717	74,978	77,732	178	7,74,104	28,86,907	78,44,045	12,10,075	1,40,689
8	दिल्ली	22,83,599	92,953	28,612	16,470	1,150	536	3,392	7	2,04,760	8,08,983	4,26,807	1,18,170	57,695
9	गोवा	47,119	328	2,191	135	48	603	9	27	8,595	23,782	12,996	2,012	1,169
10	गुजरात	90,24,515	2,29,288	13,37,308	2,51,704	7,584	1,00,397	26,928	93	8,56,368	28,89,702	96,48,497	17,39,298	1,17,944
11	हरियाणा	44,49,473	77,976	5,36,572	16,835	7,157	23,576	8,859	298	6,04,420	14,64,650	43,24,686	4,26,819	38,099
12	हिमाचल प्रदेश	10,35,089	2,757	7,54,199	9,978	55	1,585	4,097	75	1,47,359	4,33,815	6,41,639	3,54,945	595
13	जम्मू और कश्मीर	28,29,032	11,183	9,52,169	1,35,992	951	2,467	17,075	411	26,084	1,24,230	34,03,129	4,71,393	55,853
14	झारखंड	83,28,032	44,796	23,18,877	5,68,399	9,046	49,392	41,467	1,858	11,01,546	37,60,519	52,46,792	12,63,307	1,00,846

15	कर्नाटक	77,66,119	1,53,707	30,08,360	55,927	10,538	1,09,352	22,762	190	7,39,991	22,70,901	39,97,575	9,74,516	1,98,206
16	केरल	36,72,462	49,513	12,34,784	10,098	3,907	87,292	43,654	458	2,15,312	11,44,398	22,80,959	10,84,934	58,111
17	लद्दाख	26,316	129	13,770	487	7	25	97	24	1,002	3,821	31,616	8,001	558
18	लक्षद्वीप	1,487	3	70	10	8	2	1	1	178	559	1,848	307	28
19	मध्य प्रदेश	1,57,47,699	4,72,854	41,90,270	2,94,250	2,914	9,389	1,86,568	605	14,96,781	64,91,980	1,27,37,318	29,11,927	4,87,153
20	महाराष्ट्र	1,40,45,333	3,19,719	26,77,876	2,22,066	2,446	30,721	35,417	752	15,03,725	50,21,785	1,08,76,272	22,60,143	2,66,180
21	मणिपुर	4,24,149	4,843	1,98,579	29,077	72	2,071	8,158	216	18,283	80,395	1,94,742	29,560	14,525
22	मेघालय	2,15,407	19	2,12,272	45,576	238	1,772	739	419	15,855	69,978	1,96,024	76,353	4,049
23	मिजोरम	52,568	593	27,106	5,063	29	102	2,495	5	2,029	8,852	49,331	21,201	365
24	नगालैंड	2,31,529	1,591	77,819	13,422	20	139	7,559	628	13,781	72,509	1,98,433	89,718	3,703
25	ओडिशा	1,22,49,874	35,375	28,03,984	11,41,312	34,010	1,59,186	75,808	415	15,79,284	55,40,716	27,050	19,67,847	1,853
26	पुदुचेरी	1,59,413	1,585	30,372	90	182	516	5,286	6,995	11,359	33,313	1,19,342	2,975	1,271
27	पंजाब	45,34,739	76,388	7,01,289	16,953	1,022	2,660	14,300	46	4,82,182	15,56,111	30,49,200	2,37,755	1,08,502
28	राजस्थान	1,05,99,028	90,001	48,21,455	4,46,814	5,730	48,141	50,041	3	13,17,844	47,49,886	65,46,670	22,69,181	4,64,594
29	सिक्किम	38,126	273	15,740	202	1	3	4	32	5,360	15,226	11,209	5,218	270
30	तमिलनाडु	61,49,381	87,182	35,27,909	2,07,766	7,365	57,340	45,148	1,651	6,14,962	19,39,167	45,83,730	5,48,814	43,693
31	तेलंगाना	31,65,465	1,40,186	16,82,558	689	5,435	23,032	815	56	4,35,455	12,59,086	22,47,439	7,13,154	825
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	54,638	706	1,580	1,076	10	56	148	3	7,014	17,011	51,812	4,372	123
33	त्रिपुरा	6,58,163	2,826	4,92,817	1,55,611	299	1,430	20,534	1,125	89,989	2,25,863	8,22,069	1,11,465	65
34	उत्तर प्रदेश	6,78,99,093	9,54,895	92,74,658	17,68,223	4,576	44,404	10,90,303	1,623	44,08,136	1,87,39,222	3,24,06,138	1,20,59,142	2,44,414
35	उत्तराखंड	21,29,006	15,194	6,12,313	37,454	371	3,491	14,544	185	1,98,862	8,76,767	27,65,465	3,56,746	58,437
36	पश्चिम बंगाल	1,88,89,979	87,082	54,32,309	15,82,813	14,581	93,550	1,28,791	1,015	19,92,411	88,36,373	96,783	22,69,613	22,285